न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2018-00283Ju2018-103 Ramchandra Vs state etc

1. रामचन्द्र पुत्र श्री अम्बालाल के कायम मुकाम-
   1.1. श्रीमती मगनी बोहरा पत्नी स्व. रामचन्द्र
   1.2. आनन्दीलाल पुत्र स्व. रामचन्द्र
   1.3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामचन्द्र
   1.4. मीना पुत्री स्व. रामचन्द्र
   1.5. पूर्ण प्रकाश पुत्र स्व. रामचन्द्र
   सभी जातियान् ब्राहमण, निवासीगण- ग्राम लोरड़िया, तहसील व जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर।
02. लीलाधर पुत्र अम्बालाल
03. वासुदेव पुत्र अम्बालाल
दोनो जातियान् ब्राहमण, निवासीगण- नोरड़िया, तहसील व जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 31 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 107/2008 रामचन्द्र बनाम राज्य सरकार इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री के.के. भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 07 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2008 रामचन्द्र बनाम राज्य सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 31 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रसत भूमि खसरा नं. 392 रकबा 143.08 बीघा ग्राम दलजी की ढाणी तहसील फलोदी के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर माफिक राजस्व नक्शा वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2018 के जरिये वादीग/अपीलार्थीग का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पी.डब्ल्यू-1 से पी.डब्ल्यू-4 गवाहों के बयान करवाकर अपने दावे को साबित किया, फिर भी विचारण न्यायालय ने वादी की साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन न कर वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। वादी के वाद में प्रतिवादीगण की ओर से न तो कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं न ही किसी प्रकार का मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, फिर भी वादी का वाद खारिज किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मनमाने ढंग से बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये पारित किया गया निर्णय होने से अपास्त योग्य है। वर्तमान में व पूर्व से ही वादी के पास खसरा नं. 392 रकबा 143.08 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जो प्रदर्श-5 तहसीलदार के आदेश क्रमांक 252 दिनांक 03.07.2004 के द्वारा पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट से साबित है कि ''नक्शा अनुसार नाप किया, नीचे अनुसार नाप वही रकबा ज्यादा बनता है' फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है। प्रतिवादी का कहना है कि मौके पर वादी का 122.08 बीघा पर ही कब्जा है, किंतु प्रतिवादी द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.05.2018 को अंतिम बहस की गई थी एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय हेतु दिनांक 31.05.2018 नियत की गई। तत्पश्चात प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू हो जाने से अपीलांट को समय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त नहीं हो सकी। दिनांक 02.07.2018 को नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर माफिक अनुतोष वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

जबाव में राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि अपीलांट्स को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। वक्त सेटलमेंट वादी का वादग्रस्त आराजी के जितने रकबे पर कब्जा काश्त था, उसी अनुसार वादी को खातेदारी अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 392 ग्राम लोर्डिया का राजस्व रेकर्ड प्रदर्श ई.एक्स-1 के अनुसार रकबा 122 बीघा 08 बिस्वा दर्ज है तथा राजस्व नक्शा ई.एक्स-2 के अनुसार उक्त रकबा बढा हुआ है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 15.07.2009 प्रदर्श-5 के मुताबिक अपीलांट्स का मौके पर राजस्व नक्शे अनुसार कब्जा काश्त सही है, परन्तु रकबा ज्यादा है। अपीलांट्स का कथन है कि राजस्व नक्शे में वादग्रस्त आराजी का रकबा 143.08 बीघा दर्ज है, किंतु बढे हुए रकबे बाबत सटीक रिपोर्ट विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स का उक्त मामला धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नहीं होकर केवल राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में विहित प्रावधानों के तहत केवल रेकर्ड दुरुस्ती का है। अदालत हाजा को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत रेकर्ड दुरुस्ती का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट्स राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में विहित प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर रेकर्ड दुरुस्ती का वांछित अनुतोष प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर सकता है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2008 रामचन्द्र बनाम राज्य सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31 मई 2018 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2018-00283Ju2018-103 Ramchandra Vs state etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. रामचन्द्र पुत्र श्री अम्बालाल के कायम मुकाम- 1.1. श्रीमती मगनी बोहरा पत्नी स्व. रामचन्द्र 1.2. आनन्दीलाल पुत्र स्व. रामचन्द्र 1.3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामचन्द्र 1.4. मीना पुत्री स्व. रामचन्द्र 1.5. पूर्ण प्रकाश पुत्र स्व. रामचन्द्र सभी जातियान् ब्राहमण, निवासीगण- ग्राम लोरड़िया, तहसील व जिला फलोदी।	**ब ना म**	01. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर। 02. लीलाधर पुत्र अम्बालाल 03. वासुदेव पुत्र अम्बालाल दोनो जातियान् ब्राहमण, निवासीगण- नोरड़िया, तहसील व जिला फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 31 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 107/2008 रामचन्द्र बनाम राज्य सरकार इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 07 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री के.के. भाटी मिनजानिब अपीलाण्ट्स, एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2008 रामचन्द्र बनाम राज्य सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31 मई 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 07 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर